राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

अपील संख्या 2264/2011 ....जिला........झुंझूनू..............................
उनवान– मैसर्स राघव ट्रेडिंग कम्पनी, मुकन्दगढमण्डी, झुंझूनू बनाम् . उपायुक्त (अपील्स), बीकानेर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
11.06.2014	**एकलपीठ** **श्री मदन लाल,सदस्य** अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से श्री वी.के.पारीक अधिवक्ता एवं विभाग की ओर से श्री डी.पी.ओझा, उप राजकीय अधिवक्ता उपस्थित। अपीलार्थी व्यवहारी के अधिवक्ता श्री वी.के.पारीक ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उपायुक्त(अपील्स) वाणिज्यिक कर, बीकानेर के अपील संख्या 174/आरवेट/झुंझूनू/10–11 में पारित किये गये आदेश दिनांक 31.3.2011 के विरूद्ध कर बोर्ड में अपील संख्या 2205/2011/झुंझूनू दिनांक 21.10.2011 को प्रस्तुत की गई थी जिसका कर बोर्ड द्वारा दिनांक 10.12.2013 को निर्णय पारित करते हुए अपील अस्वीकार कर दी गई। तत्पश्चात अपीलार्थी द्वारा उपायुक्त(अपील्स) वाणिज्यिक कर, बीकानेर के उपरोक्त अपील संख्या 174/आरवेट/झुंझूनू/10–11 भूलवश इसी आदेश के विरूद्ध उक्त अपील कर बोर्ड में अपील संख्या 2264/2011/झुंझूनू दिनांक 1.11.2011 को प्रस्तुत कर दी गई है। अपीलार्थी के अधिवक्ता श्री वी.के.पारीक ने निवेदन किया कि उक्त अपील का निर्णय कर बोर्ड द्वारा दिनांक 10.12.2013 को हो चुका है। अपीलार्थी द्वारा सहवन से एक ही अपील का प्रार्थना पत्र पेश कर दिया था। अतः विवादित अपील भी इसी आदेश के विरूद्ध पेश की गई है जिसे विद्ड्रा करने का निवेदन किया गया। विभागीय अधिवक्ता ने भी इस पर कोई एतराज जाहिर नहीं किया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का निवेदन स्वीकार करते हुए यह पीठ इस निष्कर्ष पर पहुँची है कि उपायुक्त(अपील्स) वाणिज्यिक कर, बीकानेर के अपील संख्या 174/आरवेट/झुंझूनू/10–11 निर्णय दिनांक 31.03.2011 के विरूद्ध कर बोर्ड में अपील संख्या 2205/2011/झुंझूनू जिसका कर बोर्ड द्वारा दिनांक 10.12.2013 को निर्णाय पारित किया जा चुका है। उपायुक्त(अपील्स) वाणिज्यिक कर, बीकानेर के अपील संख्या 174/आरवेट/झुंझूनू/10–11 निर्णय दिनांक 31.03.2011 के उसी आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा भूलवश उपरोक्त अपील (अपील संख्या 2264/2011/झुंझूनू)प्रस्तुत कर दी गई है। अतः विवादित अपील संख्या 2264/2011/झुंझूनू विद्ड्रावल खारिज की जाती है। निर्णय सुनाया गया । 11.6.2014 **(मदन लाल)** **सदस्य**	